आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)।

धारा–बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–7 के तहत

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–100 / 2020–21

महादेव भगत...आवेदक

बनाम

अंचल अधिकारी, बुण्डू..विपक्षी।

आदेश

10.12.2020

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी–महादेव भगत, पिता–बेचू भगत, सा०–बारूहातु, डाकखाना–बारूहातु, थाना–बुण्डू, जिला–राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–255 R27/2017-2018/बुण्डू में दिनांक–12/04/2018 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
तिरिलडीह	बुण्डू	50	11	582	81 डीसमील

चौहदीः–उ०–कमला बोस, द०–मृत्युंजय दत्ता, पू०–निधेश्वर लायक, प०–पुस्तम मुण्डा।

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के कथनानुसार उपरोक्त भूमि को अपीलकर्त्ता ने निबंधित डीड संख्या–5208/5515 के माध्यम से खरीदा है एवं उक्त भूमि पर शांतिपूर्ण दखलकार है। उपरोक्त वर्णित भूमि का अंचल कार्यालय के पंजी।। में विक्रेतागण के नाम से रकवा–81 डी० भूमि का जमाबंदी दर्ज है। जबकि विक्रेता ने 01.00 ए० भूमि का निबंधित डीड संख्या–5208/5515 के माध्यम से आवेदक को विक्रय कर दिया गया है। आवेदित भूमि की जमाबंदी बिक्री रकवा से कम होने के कारण निम्न न्यायालय द्वारा उक्त भूमि का नामांतरण आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। चूँकि विक्रेता के नाम से ऑनलाईन पंजी।। में मात्र 81 डी० भूमि ही शेष है अतः अनुरोध है कि मेरी अपील को स्वीकृत करते हुए 81 डी० भूमि का ही दाखिल खारिज अपीलाकर्त्ता के नाम से करने का आदेश देने की कृपा की जाए। इस संबंध में क्रेता विक्रेता की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०–255 R27/2017-2018/बुण्डू का अस्वीकृति की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। जिसमें राजस्व कर्मचारी के मंतव्यानुसार आवेदित भूमि की जमाबंदी बिक्री रकवा से कम है । अतएव इसी आधार पर अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण वाद अस्वीकृत की गयी है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उनके द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि क्रेता–विक्रेता को सुनकर उनके दस्तावेजों की जाँच–पड़ताल करते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

निम्न न्यायालय को इस आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Sd/- 10/12 — भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)।

Sd/- 10/12 — भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)।